राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010–11 जयपुर, दिनांक : 13/5/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– Offline Software **द्वारा समूहवार मस्टररोल जारी करने के संबंध में।**
प्रसंग :– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.05.2011**

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी किये जा रहे ई–मस्टररोल में श्रमिकों के समूह उनकी इच्छानुसार नहीं बनाये जाने की शिकायत को दूर करने हेतु आपको निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक वांछित कार्यवाही नहीं की गई है। कई पंचायत समितियों में तो अभी भी NREGA soft Version 5.00 के स्थान पर Version 4.00 में ही मस्टररोल जारी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्र कमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/10 दिनांक 24.09.10 के अनुसार निर्धारित की गई कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु पृथक्–पृथक् ई–मस्टररोल के स्थान पर केवल अकुशल श्रमिकों हेतु ही ई–मस्टररोल जारी किये जा रहे हैं। कुछ पंचायत समितियों द्वारा तो ई–मस्टररोल के स्थान पर मैन्युअल मस्टररोल तक जारी किये जा रहे हैं, जो पूरी योजना के कियान्वयन को गम्भीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उक्त समस्त अनियमितताओं को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जावे।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Offline Software से ई–मस्टररोल जारी करने के लिये सर्वप्रथम श्रमिकों की demand फीड कर Work Allocation किया जाता है। इसके पश्चात् ई–मस्टररोल जारी की जाती है, ई–मस्टररोल जारी करते समय दो option प्रदर्शित होते है :–

1. स्वचालित
2. दस्ती

यदि समूहवार ई–मस्टररोल जारी करनी हो तो दस्ती option को सलेक्ट किया जाता है इससे एक कार्य पर आवंटित किये गये समस्त श्रमिकों के नाम दिखाई देते हैं। अब जिन पांच श्रमिकों को प्रथम समूह में रखना है उन्हें सलेक्ट करना होता है। इसी तरह से दूसरा समूह बनाते समय अन्य पांच श्रमिकों को सलेक्ट करना होता है।

संभवतया उपरोक्त श्रमिक सलेक्ट प्रकिया में काफी समय लगने के कारण पंचायत समितियों के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। श्रमिक सलेक्ट करने में लगने वाले समय को बचाने एवं इस प्रक्रियां के सरलीकरण हेतु कम्प्यूटर की asp programming भाषा में एक प्रोग्राम विकसित किया गया है, जिसमें कुल 13 फाईल्स है।

इन फाईलों को नरेगा offline software में पहले से उपलब्ध फाईल्स के स्थान पर replace किया जावे। इन 13 फाईलों को राज्य के सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला/ब्लॉक एमआईएस मैनेजर की ई–मेल आईडी पर दिनांक 07.05.11 एवं 10.05.11 को मेल किया जा चुका है। इन फाईल्स को पंचायत समिति पर install offline software में पहले से उपलब्ध फाईल्स के स्थान पर replace किये जाने की जिम्मेदारी ब्लॉक एमआईएस मैंनेजर को दी जावे। ऐसा करने पर डिमान्ड दर्ज करते समय जिस क्रम में श्रमिकों के नाम फीड किये गये है, उसी क्रम में 5–5 के समूह में समूहों का गठन हो जायेगा।

उदाहरण के लिये उक्त फाईल्स के replacement के पश्चात यदि किसी कार्य पर एक पखवाडे में 50 श्रमिकों ने डिमाण्ड की है तो पंचायत समिति पर कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा श्रमिक डिमाण्ड offline software में फीड कर work allocation किया जावेगा एवं इसके बाद ई–मस्टररोल जारी की जावेगी। ई–मस्टररोल जारी करने पर जिस कम में श्रमिक डिमाण्ड फीड की गई है, उसी कम में 5–5 श्रमिकों के समूह अपने आप जनरेट हो जायेंगे अर्थात् 1 से 5वें नंबर तक फीड किये गये श्रमिकों का एक समूह बन जायेगा एवं इसी कम में 6 से 10वैं नंबर तक फीड किये गये श्रमिकों का दूसरा समूह बन जायेगा। इस तरह 50 श्रमिकों के लिये कुल 5 ई–मस्टररोल प्रिन्ट हो जायेंगे, जिसमें प्रत्येक पर 2–2 समूह होंगे।

इस प्रकिया को ब्लॉक एमआईएस मैनेजर्स द्वारा ब्लॉक स्तर से तुरन्त प्रभाव से लागू किया जावे एवं दिनांक 17.05.11 तक जिला एमआईएस मैनेजर को सूचित करेंगे एवं जिला एमआईएस मैनेजर दिनांक 19.05.11 तक विभाग को सूचित करेंगे। इसकी पालना नहीं किये जाने पर ब्लॉक एवं जिला एमआईएस मैनेजर्स के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
3. एमआईएस मैनेजर, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।

13/5/11

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस